

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पीएमसी/कार्य/1164/2020-21 / प्री.सी. / राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- किता वीयर योजना के शीर्ष कार्य का पुनर्स्थापन, इसके गार्ड बैंक, इस्केप चैनल का पुनर्निर्माण तथा पक्का घाट एवं रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य हेतु रु० 53.38 लाख (रुपये तिरप्पन लाख अड़तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- किता वीयर योजना के शीर्ष कार्य का पुनर्स्थापन, इसके गार्ड बैंक, इस्केप चैनल का पुनर्निर्माण तथा पक्का घाट एवं रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य हेतु रु० 53.38 लाख (रुपये तिरप्पन लाख अड़तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- किता वीयर के कार्य हेतु समर्पित किये गये प्रस्ताव में निम्नांकित कार्य प्रावधानित है, जिनकी अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Name of work	Amount (Rs)
(i)	RCC Jacketing of kita weir.	1359157.00
(ii)	Strengthening of Guide Bank of kita weir.	1133130.00
(iii)	Reconstruction of Scape channel in Approach Road at 0.5 ch of kita canal.	785366.00
(iv)	Construction of 2 No. Pucca Ghat at U/S of kita weir.	1339037.00
(v)	Construction of Retaining wall at chain 52.00 of kita canal.	79612.00
Total		4696302.00
GST @12%		563556.24
Total		5259858.24
Add @ 1% Labor Cess		52598.58
Add @ 1/2 % contingency		26299.29
Grand Total		5338756.11
Say		5338800.00

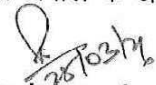
- यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाएगा।

5. उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :-

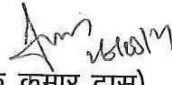
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, र शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

6. जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में
(i) शीर्ष 4701-80-796-46-05-45 अन्तर्गत ₹ 523.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।
7. उक्त कार्य जलपथ प्रमण्डल, राँची द्वारा कराया जायेगा तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची होंगे एवं मुख्य अभियंता, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से की जायेगी।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में ₹ 523.00 लाख राशि का उपबंध है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
14. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1164/2020.52/20-21 प्र० 2561 /राँची, दिनांक 26-03-2021
प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1164/2020.52/20-21 प्र० 2561 /राँची, दिनांक 26-03-2021
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1164/2020.52/20-21 प्र० 2 वी० /राँची, दिनांक 24-03-2021 /
प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र० राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1164/2020.52/20-21 प्र० 2 वी० /राँची, दिनांक 24-03-2021 /
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1164/2020.52/20-21 प्र० 2 वी० /राँची, दिनांक 24-03-2021 /
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव